2022/61

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री पीरू खां पुत्र श्री बाबूखां
जाति मुसलमान
निवासी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी शिवगंज

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 14-वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.02.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को दिनॉक 06.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पट्टाशुदा निवासीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में किए गए पत्र व्यवहार पर की गई जांच से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को दिनॉक 06.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पट्टाशुदा निवासीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में किए गए पत्र व्यवहार पर की गई जांच से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली पर अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति शिवगंज से सम्बन्धित होने से अपीलांट का मूल आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति शिवगंज को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। Bulla (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2022.04.20 16:13:29 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner